

>

Title: Need to provide passage to the local villagers whose land was acquired by the Railways for laying Ahmedabad-Himmat Nagar-Udaipur railway line.

श्री महेंद्रसिंह पी. चौहान (साबरकांठा): महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे ज़ीरो आवर में बोलने के लिए समय दिया।

महोदय, विगत दिनों में हमारे क्षेत्र साबरकांठा में हमारे लोगों के साथ एवं हमारे साथ भी रेल विभाग के अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया है। उसके बारे में आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ।

महोदय, हमारे क्षेत्र से अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर रेल लाइन गुजरती है। वहां हिम्मतनगर से आगे विरावाडा रेलवे स्टेशन आया हुआ है, जिसके बगल में वांटडा नाम एक रेवेन्यू विलेज आया हुआ है।

महोदय, यह रेल लाइन बिछाते वक्त रेल परिवहन के लिए जरूरी जो जमीन संपादित की गई, उस वक्त गलती से वांटडा गांव का, गांव में आने-जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वह संपादित हो गया।

गांव रास्ते से वंचित हो गया। आज 50 साल से यह गांव अपना रास्ता मांग रहा है, जो आज दिन तक नहीं मिला।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूँ कि हमने इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते गांव को रास्ता वापिस दिलाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। रेलवे के अधिकारियों के आगे, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, रेल मंत्री जी के सामने और संसद में भी नियम 377 के अंतर्गत यह बात रखी, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अंत में हमने गांव को न्याय दिलाने हेतु रेल विभाग को नोटिस देकर दिनांक 29 जनवरी से रेल रोक आंदोलन गांववासियों के साथ मिल कर शुरू किया तो रेलवे विभाग के अहमदाबाद-उदयपुर रेलगाड़ी को ही बंद कर दिया। पूरे 18 दिन तक हमारा शांत, अहिंसक सत्याग्रह चला, लेकिन कोई सक्षम अधिकारी हमारे साथ चर्चा करने हेतु नहीं आया। वे बोलते थे कि रेल सेवा बंद होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेल सेवा घाटे में चलती है। हम 18 दिन तक रेल पटरी पर बैठे रहे, बाद में 15 फरवरी से आमरण-अनशन की घोषणा की। हमारे साथ गांव की 50 महिलाएं एवं 70 पुरुष शामिल हुए। पूरे क्षेत्र ने एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। यह आंदोलन एक गांव तक सीमित न रह कर पूरे क्षेत्र का आंदोलन बन गया। तीन दिन के बाद बहुत लोगों की तबीयत बिगड़ी, हमें भी अस्पताल में भर्ती किया गया। तब चार दिन के बाद छोटी कक्षा के अधिकारी आए, वे बोले कि गांव की मांग सही एवं जायज है, लेकिन हमारे अधिकार की बात नहीं है। डीआरएम या जीएम ये निर्णय ले सकते हैं।

सभापति महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि डीआरएम, अजमेर हमारा फोन काट देते थे। हमारे साथी सांसद डॉ. किरीट सोलंकी, जो हमारे समर्थन में वहां आए थे, उनके साथ भी डीआरएम, अजमेर ने खराब व्यवहार किया। वे बोलते थे कि हमारे खिलाफ फरियाद करके हमारी ट्रंसफर करवा दीजिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह लोकतंत्र है? हमें अपने पूज्यों को हल करने के लिए क्या करना चाहिए? बीस लाख लोगों का जनप्रतिनिधि मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट होता है। उसकी सच्ची बात कोई नहीं सुनता तो आम आदमी की बात कौन सुनेगा। ऐसे ही अन्यायपूर्ण रवैये से नक्सलवाद का जन्म होता है। ये आंदोलन एक गांव का न बन कर पूरे क्षेत्र का आंदोलन बन गया। रेल अधिकारियों के एगेंडें एवं संवेदनहीन व्यवहार से हमें बहुत दुःख हुआ है। मैं इनकी जांच करने की और दोषी अधिकारियों को दंडित करने की मांग करता हूँ। धन्यवाद।